सरोजिनी नायडू कन्या महाविद्यालय में छात्राओं के लिए अतिथि व्याख्यान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की हिन्दी साहित्यिक गतिविधि समिति द्वारा छात्राओं के लाभार्थ एक अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया। शुरुआत महाविद्यालय के प्राचार्य डा. सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी के सारगर्भित उद्बोधन से हुई। उन्होंने छात्राओं को अध्ययन में निरंतरता बनाए रखने और रटने के स्थान पर समझकर तैयारी करने के महत्व पर बल दिया।

व्याख्यान का विषय प्रशासनिक और बैंकिंग क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी था। मुख्य वक्ता डा. रितेश सिंगारे, शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय के रक्षा एवं सामरिक अध्ययन विभाग के प्राध्यापक, उपस्थित रहे। डा. सिंगारे दैनिक भास्कर में नियमित रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित मार्गदर्शन कालम लिखते हैं। उन्होंने छात्राओं को नियमित शिक्षा पर ध्यान देने और केवल कोचिंग पर निर्भर न रहने की सलाह दी। पुस्तकों के अध्ययन और लक्ष्य निर्धारण से ही कैरियर की दिशा स्पष्ट होती है। डा. सिंगारे ने छात्राओं को भय रहित होकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने और कैरियर पर फोकस बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मार्गदर्शन दिया। हिन्दी विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक डा. संजीव जैन ने विषय की उपयोगिता और महत्व पर प्रकाश डाला, विभागाध्यक्ष डा. कीर्ति शर्मा ने कहा कि विभाग की छात्राएँ प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित होती हैं और ऐसे मार्गदर्शन से उनकी सफलता में मदद मिलती है।

एनआईटीटीआर में विशेष व्याख्यानः आरटीआई अधिनियम पर ज्ञानवर्धक सत्र

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः एनआईटीटीआर द्वारा आरटीआई अधिनियम, 2005 के मूल सिद्धांत' विषय पर एक विशेष व्याख्यान सत्र आयोजित किया जा रहा है। यह सत्र संस्थान के राजीव गांधी सभागार में 13 मार्च को पूर्वाह्न 11 बजे से आयोजित होगा।

मुख्य वक्ता के रूप में इस सत्र को विनोद कुमार तिवारी, माननीय सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली संबोधित करेंगे। व्याख्यान का उद्देश्य प्रतिभागियों को आरटीआई अधिनियम के मूल सिद्धांतों, इसके क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना है। इससे संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही की व्यवस्था मजबूत होगी और कानून के प्रभावी अनुपालन में मदद मिलेगी। एनआईटीटीआर ने संबंधित संस्थानों से अनुरोध किया है कि वे अपने सीपीआईओ,एफएए, एपीआईओ, आरटी आई के नोडल अधिकारियों और आरटीआई से जुड़े अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस ज्ञानवर्धक सत्र में भाग लेने के लिए नामांकित करें। यह सत्र पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और आरटीआई अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर केंद्रित होगा। व्याख्यान में भाग लेने वाले अधिकारियों को अधिनियम की गहन समझ के साथ-साथ वास्तविक मामलों में उसका सही और प्रभावी उपयोग करने की तकनीक सीखने का अवसर मिलेगा, जिससे सरकारी संस्थानों में जवाबदेही और सूचना की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

बीएनआई ने महिला उद्यमियों को दिया बिजनेस नेटवर्किंग का अवसर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और व्यवसायिक नेटवर्किंग के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से गुरुवार को बीएनआई भोपाल चैप्टर की ओर से महिला उद्यमियों के लिए वीकली मीटिंग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम एफोटेल बाय सायाजी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ, जिसमें शहर की लगभग 50 महिला उद्यमियों ने भाग लिया। मीटिंग में बीएनआई के रेफरल बेस्ड नेटवर्किंग सिस्टम और बिजनेस डेवलपमेंट की रणनीतियों से उन्हें अवगत कराया गया।

इस अवसर पर बीएनआई भोपाल चैप्टर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रदीप करम्बेलकर ने महिला उद्यमियों को बिजनेस ग्रोथ के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि अधिकांश महिला उद्यमियों के पास सेल्स और मार्केटिंग नेटवर्क की कमी होती है, जिससे उनका व्यवसाय सीमित रह जाता है। बीएनआई का रेफरल नेटवर्क उन्हें भरोसेमंद बिजनेस कम्युनिटी से जोड़ता है, जहां सदस्य एक-दूसरे को नए क्लाइंट और अवसरों से जोड़ते हैं। विशेषज्ञों ने व्यवसाय मॉडल को स्केलेबल बनाने, प्रोफेशनल नेटवर्क का विस्तार करने और नियमित बिजनेस मीटिंग्स में भाग लेने पर जोर दिया। प्रतिभागियों को यह भी बताया गया कि मजबूत नेटवर्किंग के माध्यम से सहयोग, पार्टनरशिप और नए बाजार तक पहुंच बनाना आसान हो जाता है। बीएनआई भोपाल चैप्टर के प्रेसिडेंट अरुण बागदरे, जनक भट्ट, अनुराग माहेश्वरी और आरती सिन्हा ने भी मार्गदर्शन दिया। उपस्थित महिला उद्यमियों ने नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की उपयोगिता को समझा और इसे व्यवसाय के विस्तार के लिए प्रभावी बताया।

जनजातीय अंचल के विकास में खेत और किसान की अच्छी सेहत जरूरी : पटेल

राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपालः राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए खेत और किसान की अच्छी सेहत अनिवार्य है।

उन्होंने सिकल सेल एनीमिया जैसी आनुवांशिक बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने, समय पर जांच और उपचार सुनिश्चित करने तथा किसानों को आधुनिक कृषि संसाधनों से जोड़ने को सरकार की प्राथमिकता बताया। श्री पटेल अनुसूचित जनजाति उपयोजना के तहत आयोजित राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया जागरूकता कार्यक्रम और कृषि उपकरण एवं बीज वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर 300 जनजातीय किसानों को 36 लाख रुपये से अधिक मूल्य के कृषि उपकरण, बीज और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के सूक्ष्म सिंचाई घटक प्रदान किए गए। उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को अनुदान स्वीकृति पत्र भी दिए गए। उन्होंने सिकल सेल रोगियों से बातचीत कर उनका स्वास्थ्य और उपचार की जानकारी ली और फोलिक एसिड एवं हाइड्रॉक्सी यूरिया दवाओं के नियमित उपयोग के लिए प्रेरित किया।

राज्यपाल ने बताया कि सिकल सेल एक आनुवांशिक रक्त विकार है, जिसमें रक्त की लाल कणिकाएं हंसिया के आकार की हो जाती हैं और जल्दी टूटती हैं, जिससे गंभीर एनीमिया, पीलिया, दर्द और अंगों में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उन्होंने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत और मध्यप्रदेश में इसके पायलट प्रोजेक्ट की सराहना की।

कार्यक्रम में राज्यपाल ने झाबुआ के कृषि विज्ञान केंद्र में स्थापित एकीकृत कृषि प्रणाली इकाई और बीज गोदाम का वर्चुअली लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया, सांसद श्रीमती अनिता नागर सिंह चौहान, पूर्व सांसद गुमान सिंह डामोर, कुलगुरु प्रो एके शुक्ला, कलेक्टर नेहा मीना, पुलिस अधीक्षक डॉ शिवदयाल सिंह उपस्थित रहे।

क्रेन ऑपरेटर ने की आत्महत्या

भोपालः ईटखेड़ी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक क्रेन ऑपरेटर ने बुधवार-गुरुवार की रात अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। शुरुआती जॉच में मृतक द्वारा पत्नी से अनबन के चलते यह आत्मघाती कदम उठाने की बात सामने आई है। खुदकुशी से पहले युवक ने अपने भाई और पत्नी को एक मैसेज भेजा, इसमें उसने लिखा कि मैं अपनी घरवाली कृष्णा की वजह से अपनी जान दे रहा हूं। इसकी जिम्मेदार वही है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार जगदीशपुर थाना ईंटखेड़ी में रहने वाला केशव धानक पुत्र घिसीलाल धानक (27) क्रेन ऑपरेटर था, करीब 4 साल पहले उसकी शादी कृष्णा नाम की युवती से हुई थी। गुरुवार अलसुबह करीब 5:45 बजे परिजनों ने नींद खुलने पर घर में स्थित कमरे में केशव का शरीर फांसी के फंदे पर लटका देखा था। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिये मर्चूरी भेज दिया।

राजधानी के राष्ट्रीय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में इन दिनों वन्य विभाग से अपना रास्ता भटककर विचरण करते हुए सांभर लोगों के आकर्षण का केन्द्र बने हुए हैं।

एक लाख की स्मार्ट टीवी चोरी करने वाला पुलिस हिरासत में

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः थाना एमपी नगर पुलिस ने बीते दिनो होटल से 1 लाख रूपये की 6 एन्ड्रायड स्मार्ट टीवी चोरी के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी होटल कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है।

थाना पुलिस ने बताया की बीती 10 मार्च को राधाकुज कालोनी खजूरीकला थाना अवधपुरी फरियादी देवराज सुर्यवंशी पिता सुखदेव सुर्यवंशी (54) ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया की वह निजी कारोबारी है, और उनका एक होटल भी है। उनकी होटल में लगी आधा दर्जन एलईडी टीवी की चोरी हो गई है, फरियादी ने चोरी का संदेह होटल में काम करने वाले महेन्द्र सेन पर जताया था। जो घटना के बाद से ही गायब हो गया था। आरोपी के खिलाफ मामला कायम कर पुलिस टीम ने तकनीकी सुरागो के के आधार पर आरोपी आरोपी महेन्द्र सेन पिता नंदकिशोर सेन (24) मूल निवासी.वार्ड 1 ग्राम सतनाई थाना, खुराई जिला सागर को धर दबोचा। पूछताछ में आरोपी ने टीवी चोरी का खुलासा किया जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी गया माल जप्त कर लिया है। पुलिस आरोपी का अपराधिक रिकार्ड खंगालने के साथ ही उससे अन्य वारदातो के संबध में पूछताछ कर रही है।

भारत मंडपम में दिखेगा महिला सशक्तिकरण और शहरी विकास का संगमः भोंडवे

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रदेश में कई प्रभावी पहल की जा रही हैं।

इसी कड़ी में 13 मार्च को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित 'अमृत मित्र महोत्सव' में मध्यप्रदेश की लगभग 300 अमृत मित्र महिलाएँ भाग लेंगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 55 नगरीय निकायों में 312 स्व-सहायता समूहों से जुड़ी 1,028 महिलाएँ अमृत मित्र के रूप में कार्य कर रही हैं। इन महिलाओं को जल गुणवत्ता परीक्षण जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही वे सार्वजनिक उद्यानों के रख-रखाव तथा केंद्र सरकार के 'वुमन फॉर ट्रीज' कार्यक्रम के तहत पौधरोपण और उनकी सुरक्षा का दायित्व भी निभा रही हैं। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों की महिलाओं के योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से इस राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। देशभर से अमृत मित्र के रूप में कार्यरत महिलाएँ, नगरीय निकायों के प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। महोत्सव के दौरान केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर जल संरक्षण, स्वच्छता और शहरी प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करेंगे। यह आयोजन महिला नेतृत्व और सहभागिता के माध्यम से सतत शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आयुक्त संकेत भोंडवे ने नई दिल्ली जा रही सभी अमृत मित्र महिलाओं को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि वे राष्ट्रीय मंच पर प्रदेश के नवाचारों और उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बनेंगी।

फार्म हाउस में तोड़फोड़ कर लाखों का माल चोरी, प्रकरण दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः ईटखेड़ी पुलिस ने प्रापर्टी डीलिंग का काम करने वाले एक व्यक्ति की शिकायत पर उसके पार्टनर के खिलाफ फार्म हाउस में तोड़फोड़ कर करीब 8 लाख रुपए का सामान चोरी करने का मामला दर्ज किया है। किसी मामले में फरियादी को जेल भेज दिया गया था। इस बीच ही आरोपी पार्टनर ने फरियादी के फार्म हाउस को ढहा कर जमीन किसी और को बेच दी और फार्म हाउस का करीब 8 लाख रुपए का सामान चुरा ने लिया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर के जॉच शुरू कर दी है। गैस राहत कॉलोनी निशातपुरा निवासी अयाज अहमद (50) और जिया उल हक दोनों पार्टनरी में प्रापर्टी डीलिंग का काम करते थे। कुछ समय पहले अयाज अहमद ने जगदीशपुर में एक जमीन का सौदा कर उस पर फार्म हाउस बना लिया था। इस बीच किसी दूसरे थाना क्षेत्र के मामले में फरियादी को जेल जाना पड़ा। पिछले दिनों जेल से बाहर आने के बाद अयाज अहमद को पता चला कि उनके फार्म हाउस को जिला उल हक ने पूरी तरह से जमींदोज कर उसकी जमीन का सौदा कर दिया है।

NAME OF CHANGE

I, MOHANLAL KAKUMAL GANGWANI (Old Name) R/o 20 Idgah hills Bhopal. I have abandoned use of my former name. I have change my name from MOHANLAL KAKUMAL GANGWANI (old name) to MOHAN LAL GANGWANI (New Name)

3931

कार्यालय नगर पालिका परिषद विदिशा

ई. निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमाक /1169/1170/water Supply/2026 — विदिशा दिनांक :- 11.03.2026

नगर पालिका परिषद विदिशा द्वारा निम्न कार्य हेतु ई निविदाओं का आमंत्रण किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्रं.	निविदा	ई.टेन्डर नं.	कार्य का विवरण	निविदा विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	अमानत राशि	ई.निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण की समयावधि	ई-निविदा क्रय अंतिम दिनॉक
1	1160	2026_UAD_489275_1	Cleaning of silt of 26 MLD intake well	I call	500000.00	5000.00	2000.00	03 Month	27.03.2026
2	952	2026_UAD_489293_1	Repairing of motor and pumps for water supply	I call	2500000.00	18750.00	5000.00	12 Month	14.04.2026

1. निविदा प्रपत्र क्रय, डाउन लोड़, करने एवं निविदा से सम्बन्धित समस्त शर्ते एवं जानकारी https://www.mpetenders.gov.in से एवं नगर पालिका परिषद विदिशा की लोनिवि शाखा से प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद किसी प्रकार का संशोधन होने पर वेवसाईट पर या कार्यालय से जानकारी प्राप्त होगी संशोधन का प्रकाशन समाचार पत्र में नहीं किया जावेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद विदिशा

म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल

आम सूचना

न्यू सुभाष नगर हाउसिंग बोर्ड कालोनी भोपाल में भूखण्ड/भवन क्रमांक ई.डब्ल्यू.एस.-187 मण्डल द्वारा श्री वर्गीस मथाई आत्मज श्री एम.के. मथाई के नाम भाड़ाक्रय खरीद करार के आधार पर हस्तांतरण आदेश क्र.-9915-23 दिनांक 13.12.1988 द्वारा हस्तान्तरित किया गया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 03.03.1989 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। श्री वर्गीस मथाई द्वारा उपरोक्त संपत्ति के संबंध में एक गृह ऋण मध्यप्रदेश वित्तीय निगम से उक्त संपत्ति के संबंध में ऋण प्राप्त किया गया था एवं ऋण की राशि का भुगतान न करने के कारणो से उक्त संपत्ति मध्यप्रदेश वित्तीय निगम द्वारा शाखा प्रबंधक श्री एन. के.सी. नायर द्वारा रजि. विक्रय पत्र के माध्यम से श्रीमती मर्सी कुट्टी के. ई. (मेरसी वर्गीस) पत्नी स्व. श्री वर्गीस मथाई को दिनांक 08.10.2007 को विक्रय कर दी गई। परन्तु श्रीमती मर्सी कुट्टी के. ई. (मेरसी वर्गीस) द्वारा मण्डल से हस्तांतरण की कार्यवाही कराये बिना ही उक्त भवन का विक्रय विलेख दिनांक 29.12.2025 को उप पंजीयक कार्यालय से निष्पादित कराकर श्रीमती पुष्पा पाल पत्नी श्री दिलीप पाल को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता/विक्रेता द्वारा आवेदन, परिचय पत्र, शपथ-पत्र, संयुक्त शपथ-पत्र एवं मण्डल प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करते हुए उक्त संपत्ति श्रीमती पुष्पा पाल पत्नी श्री दिलीप पाल के नाम पर हस्तांतरित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है एवं उप पंजीयक कार्यालय द्वारा उक्त संपत्ति का विक्रय विलेख दिनांक 29.12.2025 को क्रेता के पक्ष में दस्तावेज पंजीकृत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर उक्त संपत्ति श्रीमती पुष्पा पाल पत्नी श्री दिलीप पाल के नाम पर हस्तान्तरण का प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है। उक्त संपत्ति के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अंदर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल संभाग-02, भोपाल

3926

-: जाहिर सूचना :-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार ने श्रीमति सावित्री देवी पत्नी श्री राजेश्वर मोहन एवं श्री रघुवेन्दर कुमार आत्मज श्री राजेश्वर मोहन निवासीगण-उत्तम नगर नईदिल्ली (भारत) के स्वत्व स्वामित्व आधिपत्य की भूमि जिसका खसरा क्रमांक 160/1/1(S) रकबा 0.6070 हैक्टयर, खसरा क्रमांक 160/1/2(S) रकबा 0.2020 हेक्टयर, खसरा क्रमांक 160/2/1(S) रकबा 0.4050 हेक्टयर, खसरा क्रमांक 160/2/5(S) रकबा 0.4050 हेक्टयर, खसरा क्रमांक 160/2/2(S) रकबा 0.4050 हेक्टयर, खसरा क्रमांक 160/2/3(S) रकबा 0.8090 हेक्टयर, खसरा क्रमांक 160/2/4(S) रकबा 0.2020 हेक्टयर, खसरा क्रमांक 160/2/6(S) रकबा 1.0120 हेक्टयर, खसरा क्रमांक 139/2(S) रकबा 1.2140 हेक्टयर, खसरा क्रमांक 139/3(S) रकबा 0.8870 हेक्टयर कुल 10 किता कुल रकबा 6.1480 हैक्टयर स्थित ग्राम राजलवाड़ी पटवारी हल्का नं. 18 तहसील सुल्तानपुर जिला रायसेन म.प्र. को क्रय करने का सौदा कर मेरे पक्षकार ने बयाना राशि का भुगतान कर दिया है। उक्त भूमि के विक्रय किये जाने में किसी भी व्यक्ति संस्था, फर्म, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह व्यक्ति अथवा संस्था इस सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के अन्दर मेरे कार्यालय में मय दस्तावेज उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा मेरा पक्षकार उक्त भूमि के विक्रय पत्र का पंजीयन अपने पक्ष में करवा लेवेगा इसके उपरान्त किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।

भवदीय **दीपक कुमार दुबे** अधिवक्ता
दुबे लॉ चेम्बर
सांझा काम्पलेक्स गोहरगंज रोड ओबेदुल्लागंज जिला रायसेन मो. 9893396335

3927

क्रं./.एम.पी.आई.डी.सी/आर.ओ. भोपाल/बी.एफ-3 (iii) 2018/दिनांक//2026

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप, जिला रायसेन में भूखण्ड क्रमांक-ई-73-ए, फेस-2, पर स्थापित इकाई मेसर्स के.एम.जी. इंजीनियरिंग वर्कस जिसके प्रोपरायटर श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री मिश्रीलाल गुप्ता, निवासी-बी-22, पॉकेट-2,सागर रॉयल विला, होशंगाबाद रोड भोपाल, जिला भोपाल (म.प्र.) थे, का स्वर्गवास दिनांक 11.09.2025 को हो जाने के कारण उक्त इकाई का नामांतरण उनके पुत्र श्री सिद्धार्थ राजेन्द्र गुप्ता आत्मज स्व. श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा स्वंय के नाम पर करने हेतु कार्यालय में आवेदन दिया गया है। स्वर्गीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता के अन्य कोई वारिसान को उक्त संपत्ति नामांतरित करने में आपत्ति हो तो दस्तावेजों/ प्रमाण सहित विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर एमपीआईडीसी, तवा काम्पलेक्स, विटटन मार्केट, ई-5, अरेरा कालोनी भोपाल में उपस्थित होकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति दर्ज कराये। निर्धारित अवधि के उपरांत आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

(राहुल शर्मा), महाप्रबंधक
एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल

3928

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार ने श्रीमती आफरीन पत्नी श्री शोएब खान निवासी बी-171 बाग फरहत अफजा ऐशबाग रोड़ गोविंदपुरा भोपाल (मप्र) के स्वत्व, स्वामित्व, आधिपत्य का एक किता प्लॉटन. 53 जो कि स्थित कपिला नगर ग्राम करोद कलां, तहसील हुजूर जिला-भोपाल जो कि नगर निगम सीमा के अन्दर वार्ड क्रमांक-78 में स्थित है। जिसकी चतुर्थ सीमाएं इस प्रकार हैं। पूरब में संपत्ति स्कूल की पश्चिम कालोनी रोड, उत्तर-संपत्ति प्लॉट नंबर 51 एवं 52 की दक्षिण - प्लॉट नम्बर 54 को क्रय करने हेतु टोकन राशि अदा कर दी गई है। तथा निकट भविष्य में उक्त समपित का पंजीयन कराया जाना है। यदि उक्त वर्णित सम्पित के संबंध में किसी भी व्यक्ति संस्था बैंक, सोसायटी तथा नजूल, म.प्र. शासन, शासकीय तथा अर्द्धशासकीय निकाय का अनुबंध, स्वत्व, आधिपत्य, ऋण बंधक, भार, विलयन तथा अन्य किसी प्रकार का विवाद हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेजो के साथ इस सूचना पत्र के प्रकाशन के साथ इस सूचना पत्र के प्रकाशन के सात दिवस की अवधि में मेरे पते पर प्रस्तुत करें। उपरोक्त समयाधि निकल जाने के पश्चात् किसी भी प्रकार का दावा, स्वत्त या आपत्ति मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगी। तथा मेरा पक्षकार उक्त सम्पति का विक्रय पत्र का पंजीयन अपने पक्ष में करा लेगा।

कीर्ति मालवीय,अधिवक्ता
30 ऋषिकेश बिहार बागमुगलिया भोपाल म.प्र.
मो. नं. 7694839029

3929

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्रीमती हिना हाशमी पत्नी श्री सैय्यद अख्तर अली आयु व्यसक निवासी:- विकास कॉलोनी जिला भोपाल म.प्र. के निवासी हैं जिनके द्वारा एक किता संपत्ति मकान नं. 219 सी दो मंजिला इन्द्र विहार कॉलोनी तिलक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. ग्राम सिंगारचोली तह-हुजूर जिला भोपाल म.प्र.को संपत्ति स्वामी से कय कर लिया है तथा बयाना राशि भी अदा कर दी गयी है। यदि किसी व्यक्ति ,संस्था शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय को इस संपत्ति को विक्रय को लकर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति होती है तो वह 07 दिवस के भीतर लिखित रूप से आपत्ति दर्ज कराये अथवा मेरे पक्षकार अपने स्वयं के नाम पर रजिस्ट्र/नामांतरण/राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज / अंकित कराने के लिये स्वतंत्र रहेगें।

संपर्क सूत्र :-
1.हरीश तलरेजा अधिवक्ता 9131432144
2.श्री सैय्यद अख्तर अली 8447496506

हरीश तलरेजा, अधिवक्ता
आफिस- 1,2, सिंगार चोली, स्टेट बैंक के पास, एयरपोर्ट रोड, भोपाल म.प्र.
मो. नं. 94250 10927, 91314 32144

3930

रजिस्ट्री सं.डी.एल. 33004/99 — REGD No. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी. डी.एल. अ.-27022026-270555
CG-DL-E-27022026-270555
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग (III) -खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)
PART II-Section 3-Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1020। नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27, 2026/फाल्गुन 8, 1947
No.1020। NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27,2026/PHALGUNA8,1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2026

का.आ. 1064 (अ).- केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के विदिशा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-346 के कि.मी. 0+000 से कि.मी. 87+900 तक (झरखेड़ा बैरसिया से विदिशा रोड) (तहसील विदिशा) का निर्माण (चौड़ीकरण/चार-लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सब डिविशनल मजिस्ट्रेट एवं भूमि अधिग्रहण, विदिशा जिला विदिशा को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य के जिले विदिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-346 के कि.मी. 50+600 से कि.मी. 87+900 तक (झरखेड़ा बैरसिया से विदिशा रोड) (तहसील विदिशा) के निर्माण के लिए भू खण्ड अर्जन की जाने वाली संरचना -रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

जिला विदिशा
http://egazette.gov.in
प्रकाशन दिनांक 27.02.2026
http://morth.gov.in
http://bhoomirashi.gov.in

जी-27146/25 — (फ.स.. CE-RO BPL/30010/46/2018-19/3A]